राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
आई.टी.शाखा, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांकः– एफ3 / मुख्या. / आई.टी. / 2026 / 177 दिनांकः– 13/05/2026

कार्यालय आदेश

निगम की बसों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्तर्गत परीक्षार्थियों की यात्रा को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के उद्धेश्य से परीक्षार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर परीक्षार्थियों के पंजीकरण एवं परिचालकों द्वारा ईटीआईएम मशीन से जारी किये जाने वाले टिकिट की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

प्रतियोगी परीक्षा टिकट सत्यापन की चरणबद्ध प्रक्रिया

चरण 1: अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण की प्रकिया

1. अभ्यर्थी निगम की वैबसाईट अर्थात https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc क्लिक करते हुए लिंक **''प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल''** ओपन कर अपनी परीक्षा से संबंधित विवरण दर्ज कर पंजीयन करेंगे।
2. अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल पर एडमिट कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. पंजीकरण की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा।
4. परीक्षा के 36 घंटे पूर्व तक पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात पंजीकरण प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी।

चरण 2: ETIM डाटा सिंक्रोनाइजेशन

1. पंजीकृत अभ्यर्थियों के रोल नंबर को ETIM मास्टर डेटाबेस में एकीकृत कर सिंक किया जाएगा। यह प्रक्रिया वेबिल (Waybill) आवंटन के समय सुनिश्चित की जाएगी।
2. ETIM मास्टर में उपलब्ध डेटा को सभी ETIM मशीनों में सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इससे परिचालकों के पास अद्यतन (Updated) और पंजीकृत डेटा उपलब्ध रहेगा।
3. परिचालक द्वारा टिकिट जारी करते समय निम्नानुसार रियलटाइम डेटा का सत्यापन किया जावेगा
   - "Competition Exam" श्रेणी में टिकट जारी करते समय परिचालक द्वारा ETIM मशीन में इन्द्राज किये जाने वाले रोल नंबर का ETIM मास्टर से स्वतः मिलान होगा।
   - ETIM मशीन केवल ETIM मास्टर में उपलब्ध, अर्थात वैध एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों का ही टिकट जारी करेगी।
   - अमान्य / गैर–पंजीकृत रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को बिना टिकिट श्रेणी में रखा जावेगा, जिन्हें टिकिट की पूरी राशि देकर यात्रा करनी होगी।

चरण 3: निगरानी एवं MIS रिपोर्ट्स

सिस्टम द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाई जाएगीः–

(a) कुल पंजीकरण

(b) जारी किए गए टिकिट

इन रिपोर्टों का उपयोग जाँच, ऑडिट एवं समंजन (Reconciliation) हेतु किया जा सकेगा।

चरण 4: परीक्षा उपरांत समंजन (Reconciliation)

1. ETIM मशीनों से प्राप्त डेटा को पोर्टल के डेटा से मिलान किया जाएगा।
2. किसी भी विसंगति (Discrepancy) को MIS रिपोर्ट के माध्यम से पहचानकर समाधान किया जाएगा।

चरण 5: निरीक्षकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

अमान्य/गैर–पंजीकृत रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को टिकिट की पूरी राशि देकर यात्रा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में बिना टिकिट यात्रियों के समान नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।

13/5/26

(डॉ. ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः– एफ3/मुख्या./आई.टी./2026/177 दिनांकः–13/05/2026

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (याता0/प्रशा0/विधि/यांत्रिक), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. महाप्रबंधक (याता0), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर .... राजस्थान परिवहन निगम।
8. कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि **''प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल''** का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य प्रबंधक .... राजस्थान परिवहन निगम।
10. रक्षित पत्रावली।

उप महाप्रबंधक (आई.टी.)